

(25)

(156)

श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल,
चरणपादुका, कटरा

छात्रावास नियमावली



विद्ययाऽमृतमश्नुते

निर्देशिका

क्र.	विषय	पृष्ठ संख्या
०१	छात्रावास के लिए मानक संचालन प्रक्रिया	
	१. छात्रावास की नियमावली	०१
	२. माता—पिता/रिश्तेदारों/आगन्तुकों से सम्बन्धित मुद्दे	०३
	३. छात्रावास के कमरों में उपयोग की सामग्री	०३
	४. जन्मदिन का उत्सव	०४
	५. छात्रावास में छात्रों की उपस्थिति	०४
	६. स्नानागारों/शौचालयों का उपयोग	०४
	७. भोजनालय में अनुशासन	०५
०२.	उल्लङ्घनों के लिए विनियम/अनुशासनात्मक कार्यवाही	०५
०३.	उल्लङ्घन और अनुशासनात्मक अधिकारियों के कार्य	०९
०४.	छात्र के लिए अनुबन्ध पत्र	१०
०५.	माता पिता/अभिभावक के लिए अनुबन्ध पत्र	१०
०६.	रात्रि बहिर्गमन/अवकाश हेतु छात्र के लिए अनुबन्ध पत्र	११
०७.	छात्रावास सम्बन्धित सुझाव एवं परामर्श	१२



१. श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल, कटरा के लिए मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी)

छात्रावास की नियमावली :

१. गुरुकुल में प्रवेश के बाद माता—पिता/अभिभावक को श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल की नियमावली सौंपी जाएगी। नियमों को पढ़ने के बाद छात्रों के माता—पिता/अभिभावक नियमावली पर हस्ताक्षर करेंगे (नियमों की प्रतिलिपि आवेदन पत्र के साथ संलग्न है)।

२. नियमों को सम्बन्धित छात्र—संरक्षक/सहायक छात्र—संरक्षक के द्वारा छात्रावास में प्रदर्शित किया जाएगा।

३. एक छात्रावास समिति का गठन किया जाएगा। जिसमें ०५ सदस्य शामिल होंगे— १. प्राचार्य, २. उपप्राचार्य, ३. छात्र संरक्षक (प्रखण्ड —१), छात्र संरक्षक (प्रखण्ड —२), तथा एक वरिष्ठ आचार्य जो कि प्रशासक (श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल) के द्वारा नामित किए जाएँगे। वरिष्ठ आचार्य गुरुकुल प्रखण्ड प्रथम एवं द्वितीय की दैनिक दिनचर्या का निरीक्षण करेंगे।

छात्रावास समिति को अधिकार होगा कि वह छात्रावास परिसर का निरीक्षण करें तथा छात्र संरक्षक/सहायक छात्रसंरक्षक को उनके कार्य में परामर्श दें।

४. स्वच्छता सम्बन्धित मामलों को छात्रों द्वारा छात्रसंरक्षक/सहायक छात्रसंरक्षक के संज्ञान में लाया जाएगा।

५. भोजनालय में छात्रों की अनुपस्थिति के बारे में सूचित किया जाएगा।

६. कमरे में भोजन नहीं परोसा जाएगा। यदि कोई छात्र बीमार हो तो उसके पहचान पत्र जमा होने पर ही उसके कमरे में भोजन ले जाने की अनुमति होगी।

७. किसी भी छात्र के अस्वस्थ होने पर उसे गुरुकुल प्रखण्ड १ के सहायक छात्रसंरक्षक तथा गुरुकुल प्रखण्ड २ के छात्र संरक्षक के साथ समीपस्थ चिकित्सा केन्द्र में ले जाया जाएगा। इनकी अनुपस्थिति में प्राचार्य द्वारा नामित आचार्य छात्र को ले जाएँगे।

८. छात्रावास से रात्रिबहिर्गमन/अवकाश छात्रों को केवल उनके माता—पिता/अभिभावकों के साथ, और माता—पिता/अभिभावकों



द्वारा रात्रिबहिर्गमन/अवकाश आवेदन पर हस्ताक्षर करने के बाद ही दी जाएगी । यह अनुमति प्राचार्य (प्राचार्य की अनुपस्थिति में उप—प्राचार्य) द्वारा दी जाएगी । छात्रों को उनके घर पर किसी भी महत्त्वपूर्ण घटना के मामले में ऐसी छुट्टी मंजूर की जाएगी ।

९. सुझाव/शिकायत पेटिका, सुझाव पत्र छात्रावास परिसर में प्रदान किए जाएँगे ।

१०. सुझाव पेटिका/पंजिका : सुझाव और शिकायत या तो सुझाव पेटिका में जमा होनी चाहिए या छात्रावास परिसर में उपलब्ध सुझाव पंजिका में दर्ज की जानी चाहिए ।

११. छात्रावास में प्रदान किया गया सुझाव पेटिका छात्रावास समिति के द्वारा प्रशासक की उपस्थिति में हर महीने खोला जाएगा ।

१२. छात्रों को कक्षा के समय खेल/अन्य गतिविधियों (अस्वस्थता के अतिरिक्त) के दौरान छात्रावास के कमरों में रहने की अनुमति नहीं होगी ।

१३. छात्रों को बाहर के खाने की अनुमति नहीं होगी तथा बिना छात्र संरक्षक की अनुमति के कोई भी दवा या टानिक लेने की अनुमति भी नहीं होगी ।

१४. गुरुकुल (प्रखण्ड प्रथम और द्वितीय) में मोबाइल फोन का उपयोग निषिद्ध होगा । फिर भी छात्रों को अपने अभिभावकों से सम्पर्क करने हेतु छात्र संरक्षक/सहायक छात्र संरक्षक के द्वारा उपलब्ध आधिकारिक फोन से बात करने की अनुमति होगी ।

१५. छात्रों को घर से लाए गए नकदी, मूल्यवान वस्तु, खाने के सामान और कपड़े आदि को जमा करना होगा । सम्बन्धित छात्रावास के छात्र संरक्षक/सहायक छात्र संरक्षक उन वस्तुओं की एक सूची बनाएँगे और उन वस्तुओं को उनके माता—पिता/अभिभावक को उनके अगले आगमन पर वापस कर देंगे ।

१६. माता—पिता/अभिभावक केवल गुरुकुल के स्वागत क्षेत्र में गुरुकुल के साप्ताहिक अवकाश (प्रतिपदा/अष्टमी) पर अपने बच्चों से मिल सकेंगे ।

२. माता—पिता/रिश्तेदारों/आगन्तुकों से सम्बन्धित मुद्दे—:

१. माता—पिता/अभिभावकों को छात्रावास के अधिकारियों के साथ सहयोग करने के लिए एक अनुबन्ध पत्र देना होगा और आवश्यकता पड़ने पर उपस्थित होना होगा ।
२. अभिभावक/आंगन्तुक निर्धारित क्षेत्र/स्वागत कक्ष से परे प्रवेश पर जोर नहीं देंगे ।
३. माता—पिता द्वारा उनके बच्चों के बारे में कोई भी पूछताछ प्राचार्य (प्राचार्य की अनुपस्थिति में उप प्राचार्य) से की जाएगी ।
४. छात्रों के माता—पिता/अभिभावक केवल 'अभिभावक—शिक्षक बैठक' के अवसर पर श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल का एक निर्देशित दौरा कर सकते हैं ।

३. कमरों में वस्तुओं का उपयोग—:

१. अचल सामग्री : छात्र कमरों में कोई अतिरिक्त फर्नीचर या अचल सामग्री नहीं लाएँगे । छात्रों को कमरे में आवंटित सभी फर्नीचर एवं अचल सामग्रियों की सुरक्षा तथा देखभाल छात्रों द्वारा की जाएगी । छात्रों को अपने कमरे से खोया गया किसी भी वस्तु की मूल लागत का दुगुना भुगतान करना होगा । छात्रों को उन वस्तुओं पर मरम्मत के दोगुने शुल्क का भुगतान करना होगा जो दुरुपयोग के कारण क्षतिग्रस्त हो गई हैं ।
२. फर्नीचर/अचल सामग्रियों का स्थान परिवर्तन —: छात्र छात्रावास में एक स्थान से दूसरे स्थान पर किसी भी फर्नीचर/अचल सामग्री का स्थान परिवर्तन नहीं करेंगे । ऐसी गतिविधियों में शामिल छात्र को आर्थिक दण्ड के साथ छात्रावास से बाहर भी निकाल दिया जाएगा ।
३. सामूहिक क्षेत्रों/गलियारों में सम्पत्ति —: सामूहिक क्षेत्रों/गलियारों में छात्रावास की सम्पत्ति की चोरी/क्षति होने पर उस तल के सभी छात्रों से उस वस्तु का मूल्य वसूल किया जाएगा । पूरे छात्रावास द्वारा उपयोग की जाने वाली वस्तुओं की चोरी/क्षति के मामले में छात्रावास के छात्रों से वसूली की जाएगी ।



४. जन्मदिन का उत्सव—:

१. बीते सप्ताह में छात्रों के पड़ने वाले जन्मदिन का उत्सव गुरुकुल मंदिर क्षेत्र में शाम 07:00 बजे से 08:00 बजे के बीच केवल प्रतिपदा/अष्टमी पर पारंपरिक उत्साह और उल्लास के साथ मनाया जाएगा,
२. किसी भी बाहरी अतिथि को जन्मोत्सव में अनुमति नहीं दी जाएगी।
३. इस उत्सव को मनाने के लिए छात्रावास के रात्रि भोजन में एक मीठा पकवान शामिल किया जाएगा।
४. नियमों के उल्लङ्घन करने वालों को दण्डित किया जाएगा।

५. छात्रावास में छात्रों की उपस्थिति —:

१. छात्र संरक्षक/सहायक छात्र संरक्षक यह सुनिश्चित करेंगे कि सभी छात्र प्रातः संध्या से कम से कम ४५ मिनट पहले जाग जाएँ।
२. छात्र संरक्षक/सहायक छात्र संरक्षक के द्वारा छात्रावास में छात्रों की उपस्थिति रात्रि 09:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे के बीच होगी।
३. प्राचार्य (प्राचार्य की अनुपस्थिति में उप प्राचार्य) दैनिक आधार पर छात्रों/कर्मचारियों की उपलब्धता के बारे में प्रशासक को फोन से अवगत कराते रहेंगे।

६. स्नानागारों/शौचालयों का उपयोग —:

१. छात्रों को स्नानगृह और शौचालयों में आवश्यक न्यूनतम समय बिताना चाहिए ताकि दूसरों को उनका उपयोग करने का उचित अवसर मिल सके।
२. छात्रों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोग के बाद स्नानगृह और शौचालय साफ सुथरे हों।
३. छात्रों को यह भी सुनिश्चित करना चाहिए कि वे सभी नल बंद कर दें और छात्रावास में पानी और बिजली का अपव्यय न हो।



७. भोजनालय में अनुशासन —:

१. छात्र केवल उचित पोशाक में भोजन कक्ष में प्रवेश करेंगे और एक अनुशासित और व्यवस्थित तरीके से व्यवहार करेंगे।
२. प्रत्येक छात्र प्रार्थना के बाद भोजन प्रारंभ करेंगे।
३. प्रत्येक छात्र यह सुनिश्चित करेंगे कि भोजन की बर्बादी न हो।
४. भोजनोपरान्त भोजन का आसन तथा चौकी पुनः अपने स्थान पर रख दी जानी चाहिए।

उल्लङ्घनों के लिए विनियम/अनुशासनात्मक कार्यवाही

१. श्राइन बोर्ड प्रबन्धन द्वारा छात्रावास परिसर और सम्पत्ति के उपयोग की अनुमति नियमों और विनियमों के तहत दी गई है, जिसे उनके विवके पर आंशिक या विविध रूप से बिना कोई कारण बताए परिवर्तित/संशोधित किया जा सकता है। अतः उल्लङ्घनों के सिद्ध होने पर छात्र को रहने/छात्रावास या गुरुकुल परिसर में प्रवेश करने की अनुमति नहीं होगी। यदि वह नहीं जाता है तो उसे बल पूर्वक हटा दिया जाएगा।
२. छात्रावास में प्रवेश अन्तरिम होगा तथा चिकित्सकीय समिति द्वारा निःशुल्क चिकित्सा परीक्षणोपरान्त ही गुरुकुल के प्रशासक द्वारा छात्र का प्रवेश पुष्ट होगा। किसी भी पूर्व स्वास्थ्य सम्बन्धी परेशानी का खुलासा करना अनिवार्य होगा।
३. आवेदन पत्र में कोई भी भ्रामक/गलत बयान या जानकारी प्रवेश को रद्द कर सकती है और इस तरह की कार्यवाही पर छात्रों को छात्रावास में रहने या प्रवेश करने का अधिकार नहीं होगा।
४. प्रबन्धन किसी भी अवज्ञा या आधिकारिक अवहेलना, छात्रावास नियमों के उल्लङ्घन या लगातार उल्लङ्घन, किसी व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाने या राष्ट्रविरोधी या अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त होने के लिए गुरुकुल से छात्र के कब्जे को समाप्त करने का अधिकार रखता है।
५. प्राचार्य/उपप्राचार्य की लिखित अनुमति के बिना कोई भी छात्र किसी अन्य छात्र के साथ अपने कमरे की अदला बदली या किसी खाली कमरे



में रहने नहीं जा सकता। प्राचार्य/उपप्राचार्य को यह अधिकार है कि बिना कोई कारण बताए किसी भी समय किसी भी छात्र को उसके कमरे से दूसरे कमरे में बदल सकते हैं।

६. छात्र संरक्षक/सहायक छात्र संरक्षक आवंटित कमरे की चाभी रखेगा। छात्रों को अपने कमरे में ताला बंद करने करने की अनुमति नहीं दी जाएगी। छात्र अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा के लिए स्वयं जिम्मेदार हैं, जिसे वे ताला लगाकर आवंटित आलमारी में रखेंगे। प्राचार्य/उपप्राचार्य को किसी भी समय किसी भी कमरे का निरीक्षण करने का अधिकार है।

७. छात्र किसी भी राजनैतिक या साम्प्रदायिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे जो कानून और व्यवस्था के लिए हानिकारक है। छात्र किसी भी राजनैतिक साम्प्रदायिक अथवा किसी भी प्रकार की अनुचित गतिविधियों में सलिल्प नहीं होंगे।

८. छात्र प्रेस, रेडियो, टेलीविजन या किसी अन्य मीडिया के किसी भी सदस्य को गुरुकुल/छात्रावास के सम्बन्ध में कोई भी जानकारी या साक्षात्कार देने से पहले प्रशासक की लिखित अनुमति लेंगे।

९. छुट्टी के दौरान सामान आलमारी में ताला बन्द कर रखना चाहिए। हलांकि छात्र सीमित मात्रा में सामान (२ डिब्बों) रखने के लिए 'आम भण्डारण सुविधा' का लाभ उठा सकते हैं।

१०. सभी छात्रों को श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल द्वारा कराये जाने वाले स्वास्थ्य सम्बन्धी जांच में शामिल होना आवश्यक है। आपातकालीन चिकित्सा सम्बन्धी मामलों में छात्र को 'सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, कटरा'/श्री माता वैष्णो देवी नारायण अस्पताल में स्थानान्तरित किया जाएगा।

११. गणवेश—: छात्रों को हमेशा सभ्य कपड़े पहनने चाहिए। सभ्य वेशभूषा कैसी हो इस बात का अधिकार प्राचार्य के पास रहेगा।

१२. शान्ति—: छात्रावास में रात 11:00 बजे से सुबह 06:00 बजे तक शान्ति होनी चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि किसी भी प्रकार का संगीत/बातचीत कमरे से बाहर न जाए। किसी भी प्रकार का ऐसा उत्सव जो दूसरे छात्रावास में रहने वाले अन्य छात्रों को परेशान करे इसकी अनुमति नहीं दी जाएगी।



१३. छात्रावास परिसर में किसी भी जुआ/गैरकानूनी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी ।

१४. कोई भी छात्र छात्रावास के परिसर में कोई बन्दूक, गोला—बारूद, विस्फोटक और ज्वलनशील सामान नहीं लाएगा या संग्रहित नहीं करेगा ।

१५. **मदिरा/नशीला पेय/ड्रग्स/धूम्रपान—:** छात्रों/आगन्तुकों के द्वारा छात्रावास के कमरों में अथवा गुरुकुल के परिसर में मदिरा/नशीला पेय/ड्रग्स/धूम्रपान का उपयोग वर्जित है । इस प्रकार का कोई भी उल्लङ्घन श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल में छात्र के प्रवेश को रद्द करने सहित कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए पर्याप्त होगा ।

१६. किसी भी छात्र के रूपए, आभूषण या व्यक्तिगत सामान के नुकसान के लिए छात्रावास के अधिकारी जिम्मेदार नहीं होंगे ।

१७. **रैगिंग —:** किसी भी रूप में रैगिंग पर प्रतिबन्ध है । यह एक संगीन अपराध है और इसमें संलिप्त छात्र पर गुरुकुल से निष्कासन के साथ ही कानूनी कार्यवाही भी की जाएगी । मूक दर्शक बने रहना और दूसरों को रैगिंग में लिप्त होने की सूचना न देना या उन्हें न रोकना भी अपराध है और उस पर भी इसी तरह की अनुशासनात्मक कार्यवाही होगी । रैगिंग को सहन करना/करवाना और इसकी सूचना न देना भी एक अपराध है । सूचनापट पर एक सूचना लगायी जाएगी जिसमें यह स्पष्ट होगा कि रैगिंग की घटना किसी भी समय छात्रावास समिति के किसी भी सदस्य को बतायी जाए ।

१८. **विद्युत प्रतिबन्ध—:** कमरे में किसी भी बिजली के उपकरण के उपयोग की अनुमति नहीं होगी । छात्रसंरक्षक/सहायक छात्र संरक्षक को इस तरह के विद्युत उपकरण को जब्त करने का अधिकार होगा । कमरे से बाहर निकलते समय छात्रों को यह ध्यान रहे कि सभी अनाशयक लाइट और पंखे बन्द हों । अनवधानता होने पर छात्रों को दण्डित किया जाएगा । टेबल लैंप का उपयोग केवल अध्ययन के लिए किया जा सकता है ।

१९. **स्वच्छता—:** छात्र अपने कमरे, बरामदे और आसपास के क्षेत्रों को हमेशा साफ सुथरा और स्वच्छ रखेंगे तथा कूड़ेदान या निधारित स्थान को छोड़कर कहीं भी कचरे को नहीं फेंका जाएगा । फर्नीचर पर या गलियारों/बालकनियों में किसी भी प्रकार के गीले कपड़े को नहीं सुखाना



चाहिए। छात्रावास में ऐसे किसी भी कपड़े को जब्त करने का अधिकार छात्रावास समिति के पास होगा।

२०. पालतू जानवर—: छात्र परिसर में किसी भी पालतू जानवर को नहीं लाएँगे/नहीं रखेंगे। छात्रों को आवारा कुत्ते को खाना खिलाने, उनके साथ खेलना इत्यादि निषिद्ध है।

२१. छात्रावास के कर्मचारी —: छात्र छात्रावास के स्टाफ और हाउसकीपिंग स्टाफ के साथ हर समय उचित व्यवहार करेंगे। हाउसकीपिंग स्टाफ की सेवा निजी या व्यक्तिगत काम के लिए नहीं ली जाएगी। उन्हें किसी भी प्रकार के नकद देने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

२२. भोजनालय —: छात्र के अस्वस्थ होने पर उसके कमरे में भोजन तभी ले जाया जा सकता है जब वह छात्र संरक्षक/सहायक छात्रसंरक्षक द्वारा अनुमोदित एक लिखित प्रार्थना पत्र भोजनालय अधिकारी को देगा।

२३. बहरी लोगों को भोजनालय में जाने की अनुमति नहीं है। अतिथियों को केवल प्राचार्य/उपप्राचार्य की पूर्व अनुमति के बाद ही भोजनालय क्षेत्र में जाने की अनुमति है। छात्रावास में बाहर का भोजन सख्त वर्जित है।

२४. भोजनालय समय सारणी—:

प्रातः अल्पाहार :	सुबह 07:10 बजे से 07:45 बजे तक
दोपहर का भोजन :	मध्याह्न 12:00 बजे से 01:10 बजे तक
सायं चायपान :	सायं 04:10 बजे से 04:30 बजे तक

२५. अनुमोदित दैनिक भोजन सूची में कोई भी परिवर्तन केवल छात्रावास समिति की अनुशंसा पर प्रशासक द्वारा किया जाएगा।

२६. प्रबन्धन के पास नियम और कानून के उल्लङ्घन होने पर किसी भी छात्र को आवंटित छात्रावास प्रकोष्ठ से वंचित करने का अधिकार होगा।

२७. राष्ट्रीय या धार्मिक त्योहारों के किसी भी उत्सव को प्रबन्धन द्वारा व्यवस्थित किया जाएगा।

उल्लङ्घन और अनुशासनात्मक अधिकारियों के कार्य

छात्रावास के नियमों विनियमों का उल्लङ्घन करने वाले छात्रों के विरुद्ध श्रीमाता वैष्णो देवी गुरुकुल के आचार—संहिता के अनुसार अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी ।

क्र.सं.	उल्लङ्घनात्मकानि कार्याणि	नियन्त्रकाधिकारिणः
01	किसी भी राजनीतिक/ साम्प्रदायिक या अनैतिक गतिविधि का प्रचार प्रसार जो सद्भाव अनुशासन और संस्थान की छवि को खराब करता है	प्रशासक (प्राचार्य/ उपप्राचार्य के अनुमोदन पर)।
02	इंग्स/ मदिरा का सेवन या भण्डारीकरण या बिक्री या निम्न के प्रभाव में होना —: अ.)—मदिरा/ तम्बाकू/ गुटखा तथा सिगरेट ब.)—नशीली दवाएँ, जैसे—नारकोटिक इंग्स और साइकोट्रोपिक पदार्थ ।	प्रशासक (प्राचार्य/ उपप्राचार्य के अनुमोदन पर)।
03	रैगिंगः कोई भी छात्रावास में किसी भी रूप में रैगिंग में लिप्त पाया जाता है	प्रशासक (प्राचार्य/ उपप्राचार्य के अनुमोदन पर)।
04	जुआ —: छात्रावास परिसर में किसी भी प्रकार का कोई जुआ नहीं होने दिया जाएगा । यदि कोई इस स्थिति में संलिप्त पाया जाता है तो	प्रशासक (प्राचार्य/ उपप्राचार्य के अनुमोदन पर)।
05	संस्था की अवज्ञा या छवि हस्ताक्षर, किसी भी प्रकार के अधिकारों की अवहेलना, छात्रावास के नियमों का पालन न करना, व्यक्ति या सम्पत्ति को नुकसान पहुँचाना या देश विरोधी या अवांछनीय गतिविधियों में लिप्त होना	प्रशासक (प्राचार्य/ उपप्राचार्य के अनुमोदन पर)।
06	हाथपाई/ झागड़े/ मुकाबलों में शामिल होना	प्राचार्य (प्राचार्य की अनुपस्थिति में उपप्राचार्य) ।
07	नुकसान —: सदि कोई सामूहिक सम्पत्ति क्षतिग्रस्त या खो गई हो	प्राचार्य (प्राचार्य की अनुपस्थिति में उपप्राचार्य) ।
08	छात्रावास के कमरों में पार्टी और तेज संगीत बजाना	छात्रावास समिति ।
09	आगन्तुक —: अगर कमरे में ले जाए गए	प्राचार्य (प्राचार्य की अनुपस्थिति में उपप्राचार्य) ।
10	दीवारों पर सूचना चिपकाना या लिखना	प्राचार्य (प्राचार्य की अनुपस्थिति में उपप्राचार्य) ।

छात्र अनुबन्ध पत्र

मैं पुत्र श्रीमान्/श्रीमती

छात्रावास के प्रकोष्ठ संख्या में रहता हूँ।
मैं गुरुकुल/छात्रावास के सभी नियमों/विनियमों को पढ़ा हूँ तथा वचन देता हूँ कि मैं गुरुकुल/छात्रावास के सभी नियमों/विनियमों का कठोरता से पालन करूँगा । और ऐसा न करने पर मुझ पर किसी भी प्रकार की पाबन्दी/आर्थिक दण्ड/अनुशासनात्मक कार्यवाही का मैं स्वयं उत्तरदायी होऊँगा ।

छात्र का नाम —:

संस्था का नाम —:

कक्षा —:

प्रकोष्ठ संख्या —:

छात्र का हस्ताक्षरम् दिनांक

माता पिता/अभिभावक द्वारा अनुबन्ध पत्र

मैं पिता/माता/अभिभावक छात्र

जो कि कक्षा में अध्ययन कर रहे हैं और

छात्रावास के प्रकोष्ठ संख्या में रह रहे हैं । मैंने गुरुकुल/छात्रावास के सभी नियमों/विनियमों को भली भांति पढ़ा और समझा है और यह वचन देता हूँ कि मैं छात्रावास के अधिकारियों के साथ पूर्ण सहयोग करूँगा और अपने पुत्र के स्वास्थ्य से सम्बन्धित सूचना छात्रावास के प्रबन्धन को उल्लङ्घन कराऊँगा और यदि आवश्यक हों तो मैं स्वयं भी छात्रावास प्रबन्धन के मौखिक/लिखित सूचना पर गुरुकुल आने पर प्रतिबद्ध रहूँगा ।

मैं यह वचन देता हूँ कि मैं सुनिश्चित करूँगा कि मेरा पुत्रगुरुकुल की छात्रावास नियमावली का हर समय पालन करेगा । मैं इस बात से अवगत हूँ कि नियमों के गम्भीर उल्लङ्घन/अवहेलना करने पर मेरे पुत्र का प्रवेश किसी भी समय निरस्त किया जा सकता है ।

मेरा सम्पर्क विवरण

माता पिता/अभिभावक का नाम

हस्ताक्षर —: दिनांक—:

छात्रावास से रात्रिगमन/अवकाश हेतु छात्र का अनुबन्ध पत्र

छात्र का नाम —:

माता पिता/अभिभावक का नाम —:

संस्थान का नाम —:

प्रकोष्ठ संख्या —:

अवकाश/रात्रिगमन का उद्देश्य —:

सम्पर्कसंख्या —:

➤ मैं अनुमत कालावधि की समाप्ति पर लौटने का वचन देता हूँ मैं
..... दिनांक के बजे वापस आउँगा ।

➤ मैं सूचित करता हूँ कि मैं अपने माता पिता/अभिभावकों के साथ
दिनांक से तक जा रहा हूँ । मेरे माता—पिता/
अभिभावक का सम्पर्क संख्या है ।

➤ मैं वचन देता हूँ कि मैं उक्त कालावधि की समाप्ति पर लौटूँगा ।
छात्रावास के बाहर भी मैं श्री माता वैष्णो देवी गुरुकुल आचार संहिता
के मानदंडों का पालन करूँगा ।

छात्र का हस्ताक्षर दिनांक

माता—पिता/अभिभावक का हस्ताक्षर

अवकाश/रात्रिगमन हेतु प्राधिकारिण के हस्ताक्षर

छात्रावास के लिए सुझाव प्रपत्र

छात्र का नाम —:

संस्थान का नाम —:

कक्षा —:

छात्रावास: —:

कक्ष संख्या —: सम्पर्क संख्या.....

शिकायत —:

सुझाव —:

छात्र का हस्ताक्षर दिनांक:

(39)

(144)

श्रीमातावैष्णोदेवीगुरुकुलम्

चरणपादुका, कटरा

छात्रावासस्य नियमावली



विद्यामृतमञ्चनुते

निर्देशिका

क्र.सं.	विषयवस्तु	पृष्ठसंख्या
०१.	छात्रावास—सञ्चालनस्य मानकप्रक्रिया	
	१. छात्रावासस्य नियमावली	०१
	२. पितृभिः/ सम्बन्धिभिः/ आगन्तुकैः सम्बद्धाः विषयाः	०२
	३. प्रकोष्ठेषु वस्तूनाम् उपयोगः	०२
	४. जन्मदिनोत्सवः	०३
	५. छात्रावासे छात्राणाम् उपस्थितिः	०३
	६. शौचालयानाम् उपयोगः	०३
	७. भोजनालये अनुशासनम्	०४
०२.	उल्लङ्घनस्य अधिनियमाः/ अनुशासनात्मकं कार्यम्	०५
०३.	अनुशासनात्मकं कार्यम्, अधिकृता अधिकारिणश्च	०८
०४.	छात्राणाम् अनुबन्धपत्रम्	०९
०५.	पितृणाम्/ अभिभावकानाम् अनुबन्धपत्रम्	०९
०६.	छात्राणां रात्रिबहिर्गमनस्य / छात्रावासादनुपस्थितेः अनुबन्धपत्रम्	१०
०७.	छात्रावाससम्बद्धम् परामर्शपत्रम्	११

श्रीमातावैष्णोदेवीगुरुकुलछात्रावासस्य मानकसञ्चालनप्रक्रिया

१. छात्रावासस्य नियमावली

१. गुरुकुले छात्रस्य प्रवेशानन्तरं पितृभ्यः/अभिभावकेभ्यः श्रीमातावैष्णोदेवी—गुरुकुलछात्रावासस्य नियमावली प्रदास्यते । छात्राणां पितरः/अभिभावकाः नियमान् सम्यक् पठित्वा नियमप्रपत्रेषु (नियमप्रपत्राणां प्रतयः आवेदनपत्रेण सह युक्ताः सन्ति) स्वहस्ताक्षराणि करिष्यन्ति, यच्च प्रमाणयिष्यति यत् ते सर्वैः नियमैः सहमताः सन्ति ।
२. नियमा: छात्रसंरक्षकेन/सहायकछात्रसंरक्षकेन छात्रावासे प्रदर्शयिष्यन्ते ।
३. एका छात्रावाससमितिः निर्मायते, तस्याच्च पञ्च (०५) सदस्याः भविष्यन्ति —:
 १.प्राचार्यः, २.उपप्राचार्यः, ३.छात्रसंरक्षकः (प्रथमखण्डस्य), ४. छात्रसंरक्षकः (द्वितीयखण्डस्य), ५.वरिष्ठः आचार्यः (गुरुकुलप्रशासकेन प्रतिनियुक्तः) एतैर्युता समितिः गुरुकुलस्य (प्रथमद्वितीयखण्डस्य) दैनिकदिनचर्याणां निरीक्षणं करिष्यति । छात्रावाससमितिः छात्रावासस्य सर्वक्षेत्राणां निरीक्षणाय अधिकारिणी भविष्यति । तथा छात्रावासस्य समुचितसञ्चालनाय छात्रसंरक्षकं/सहायक—छात्रसंरक्षकं स्वपरामर्शन् प्रदास्यति ।
४. छात्रैः स्वच्छतासम्बद्धाः विषयाः छात्रसंरक्षकस्य/सहायकछात्रसंरक्षकस्य संज्ञाने आनयिष्यन्ते ।
५. छात्राणाम् अनुपस्थितयः, समुचितसमये भोजनालये सूचयिष्यन्ते ।
६. अस्वस्थतास्थितिं विहाय (परिचयपत्रप्रदाने सति) प्रकोष्ठेषु भोजनं निषिद्धं भविष्यति ।
७. कस्यापि छात्रस्य अस्वस्थतास्थितौ सहायकछात्रसंरक्षकः (प्रथमखण्डस्य) छात्रसंरक्षकः (द्वितीयखण्डस्य) तं छात्रं समीपस्थं चिकित्साकेन्द्रं नेष्यति । एतस्य अनुपस्थितौ प्राचार्येण नामितः कश्चिदाचार्यः नेष्यति ।
८. छात्रेभ्यः छात्रावासाद् रात्रिबहिर्गमनस्य/अवकाशस्य अनुमतिः पितृभिः/अभिभावकैः सहैव, तथा रात्रिबहिर्गमनप्रपत्रं/अवकाशप्रपत्रं पितृभिः/अभिभावकैः हस्ताक्षरिते सत्येव, प्राचार्येण (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्येण) प्रदास्यते । गृहेषु समायोज्यमानाय महत्वपूर्णकार्यक्रमाय एव छात्रेभ्यः इद्वगवकाशः प्रदास्यते ।
९. परामर्शपत्राणि/आरोपपेटिका छात्रावासपरिसरेषु उपलब्ध्यन्ते ।
१०. परामर्शपेटिका/परामर्शपञ्जिका :— परामर्शः आरोपाश्च परामर्शपेटिकायाम्/ आरोपपेटिकायां संस्थापनीयाः अथवा परिसरे समुपलब्धायां पञ्जिकायाम् अङ्कनीयाः/टइकणीयाः ।
११. परिसरे संस्थापिता परामर्शपेटिका प्रशासकस्य समुपस्थितौ छात्रावाससमित्या प्रतिमासं समुद्घाटयिष्यते ।



१२. छात्राणां कृते कक्षाध्ययनसमये/क्रीडासमये/अन्यान्यगतिविधिसमये (अस्वस्थतास्थितिं विहाय) छात्रावासप्रकोष्ठेषु वासस्य अनुमतिर्न भविष्यति ।
१३. छात्राणां कृते बहिस्थानां खाद्यवस्तूनां आनयनस्य/खादनस्य अनुमतिर्न भविष्यति तथा छात्रसंरक्षकस्य संज्ञानं विना कस्यापि औषधस्य/ओजवर्धकौषधस्य सेवनं निषिद्धं भविष्यति ।
१४. गुरुकुलपरिसरे (प्रथमखण्डे द्वितीयखण्डे च) दूरवाण्याः प्रयोगः निषिद्धो भविष्यति। तथापि छात्राः गुरुकुलस्य आधिकारिक्या दूरवाण्या निर्धारिते कालावधौ छात्रसंरक्षकस्य/सहायकछात्रसंरक्षकस्य समुपस्थितौ स्वपरिवारजनैः सह वार्ता विधास्यन्ति ।
१५. छात्राः गृहादानीतं किमपि धनं/मूल्यवन्तं खाद्यं वस्त्रादिकञ्च सहछात्रसंरक्षकस्य/छात्रसंरक्षकस्य समर्पयिष्यन्ति तथा सहछात्रसंरक्षकः/छात्रसंरक्षकः तेषां वस्तूनां एकां सूचीं निर्माय स्थापयिष्यति, अथ पितृणां/अभिभावकानां समागमने तेभ्यः तानि वस्तुजातानि समर्पयिष्यति ।
१६. पितरः/अभिभावकाः स्वजातकैस्सह अवकाशदिनेषु (प्रतिपदायाम्/अष्टम्याम्) गुरुकुलस्य प्रवेशक्षेत्रे/स्वागतक्षेत्रे एव मिलिष्यन्ति ।

२. पितृभिः/सम्बन्धिभिः/आगन्तुकैः सम्बद्धाः विषयाः —:

१. पितरः/अभिभावकाः छात्रावासाधिकारिभ्यो सहयोगसम्बद्धम् एकम् अनुबन्धपत्रं प्रदास्यन्ति तथा आवश्यकतानुगुणं आकारिते सति समुपस्थास्यन्ति ।
२. पितरः/अभिभावकाः निर्धारितक्षेत्रेण/स्वागतक्षेत्रेण व्यतिरिक्तं अन्तस्थानं प्रवेशाय छात्रावासाधिकारिणः न प्रेरयिष्यन्ति ।
३. पितरः स्वजातकसम्बद्धां किमपि वार्ता प्राचार्य (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उप—प्राचार्य) प्रक्षयन्ति ।
४. छात्राणां पितरः/अभिभावकाः श्रीमातावैष्णोदेवीगुरुकुलस्य निर्देशितभ्रमणं केवलं अभिभावक—शिक्षक—मिलनावसरे एव कर्तुमर्हन्ति ।

३. प्रकोष्ठेषु वस्तूनाम् उपयोगः —:

१. अचलवस्तूनि —: छात्राः प्रकोष्ठेषु किमपि अतिरिक्तं वस्तुजातं न उपयोक्ष्यन्ति । छात्रेभ्यः आवंटितं सर्वं वस्तुजातम् अचलवस्तुजातं सम्पत्तिरूपेण संरक्षितं भविष्यति। प्रकोष्ठात् कस्यापि वस्तुनः लोपे सति छात्राः तस्य वस्तुनः वास्तविकमूल्यस्य द्विगुणितं धनं प्रदास्यति । छात्राः दुरुपयोगेन/अनुचितप्रयोगेण/ अन्यान्यप्रयोगेण क्षतिग्रस्तानां वस्तूनां शोधनार्थं/पुनर्निर्माणार्थं जातस्य व्ययस्य द्विगुणितं शुल्कं प्रदास्यति ।
२. वस्तुजातानाम्/अचलवस्तूनां स्थानपरिवर्तनम् —: छात्राः छात्रावासे कस्यापि अचलवस्तुनः/वस्तुजातस्य एकस्मात् स्थानात् अन्यत् स्थानं प्रति परिवर्तनं न

करिष्यन्ति । एतादृग्गतिविधिषु सम्मिलिताः छात्राः दण्डशुल्काहरणेन सहैव छात्रावासान्निष्कासिताः भविष्यन्ति ।

३. सर्वसामान्यक्षेत्राणाम् आलिन्दानां सम्पत्तयः— छात्रावासस्य सर्वसामान्यक्षेत्रस्य/आलिन्दस्य वस्तुनां/सम्पत्तीनां चौर्ये/क्षतौ वस्तुनः सम्पत्तेः मूल्यं तस्य तलस्य सर्वैः छात्रैः स्वीकरिष्यते । यदि चोरितस्य/क्षतस्य वस्तुनः उपयोगः सर्वसामान्यस्तदा तस्य वस्तुनः मूल्यं छात्रावासस्य सर्वैः छात्रैः स्वीकरिष्यते ।

४. जन्मदिनोत्सवः —:

१. सप्ताहस्य प्रत्येकस्यां प्रतिपदायाम् अष्टम्याज्व गुरुकुलस्य मन्दिरे सायं सप्तवादनतः अष्टवादनं यावत् (07:00 P.m TO 08:00 P.M) पारम्परिकवेषभूषा—समेताः छात्राः तेषां छात्राणां जन्मदिनोत्सवम् आयोजयिष्यन्ति, येषां जन्मदिनांडकः गतसप्ताहदिनेषु आपतति ।
२. बहिस्थाः अतिथयः निषिद्धाः भविष्यन्ति ।
३. अस्य जन्मोत्सवस्यायोजनाय छात्रावासस्य रात्रिभोजने एकं मिष्टानं समायोजयिष्यते ।
४. नियमोल्लाङ्घितारः दण्डयिष्यन्ते

५. छात्रावासे छात्राणाम् उपस्थितिः —:

१. सहायकछात्रसंरक्षकः/छात्रसंरक्षकः सुनिश्चितं करिष्यति यच्छात्राः प्रातः सन्ध्याया: पञ्चचत्वारिंशन्निमेषात् (45 Minuts) पूर्वम् उत्तिष्ठन्ति ।
२. छात्रावासे सहायकछात्रसंरक्षकः/छात्रसंरक्षकः छात्राणामुपस्थितिं रात्रै सार्वनववादनतः दशवादनं यावत् (09:30 p.m TO 10:00 p.m) स्वीकरिष्यति ।
३. प्राचार्यः दूरवाण्या दैनिकाधारेण छात्राणां/कर्मचारीणाम् उपलब्धता विषयं गुरुकुलप्रशासकं संसूचयिष्यति ।

६. शौचालयानाम् उपयोगः —:

१. छात्राः स्नानागारेषु शौचालयेषु च न्यूनतमम् अथ आवश्यकतानुगुणमेव समयं यापयेयुः, येन अन्येभ्यः तेषां स्नानागाराणां शौचालयानाज्व प्रयोगस्य उचितावसरप्रदानं भवेत् ।
२. छात्राः सुनिश्चयेयुः यत् प्रयोगानन्तरं स्नानागाराः शौचालयाश्च अन्येषां प्रयोगाय स्वच्छाः सन्ति ।
३. छात्राः एतदपि सुनिश्चयेयुः यत् अनावश्यके काले नलिकानां विद्युदीपानां व्यजनानाज्व पिधानं वर्तते येन जलस्य विद्युतां चापव्ययो न भवेत् ।

७. भोजनालये अनुशासनम् —:

१. छात्रः केवलम् उचितवेशभूषायामेव भोजनशालायां प्रवेशं करिष्यन्ति अथ अनुशासितं व्यवस्थितञ्च व्यवहारं करिष्यन्ति ।
२. प्रत्येकोऽपि छात्रः प्रार्थनानन्तरमेव भोजनारम्भं करिष्यन्ति ।
३. प्रत्येकोऽपि छात्रः सुनिश्चितं करिष्यति यद् भोजनस्य अपव्ययो न भवेत् ।
४. भोजनान्ते भोजनासन्दः/आसनं पुनः यथास्थानं संस्थापनीयम् ।

उल्लङ्घनानां विनियमाः/अनुशासनात्मिका कार्यवाही

१. छात्रावासपरिसरस्य सम्पत्तेश्च उपयोगानुमतिः श्राइनबोर्डप्रबन्धनेन निर्धारित—नियम—विनियमानुसारमेव दीयते, यश्च परिवर्त्तनीयः, संशोधनीयः, समग्रतया अंशतया वा शक्यते तथा किमपि अनुकृतकारणं विनापि अधिकारिभिः.....शक्यते। एतादूशे निर्वासने छात्रस्य छात्रावासे/गुरुकुले स्थातुं, प्रवेष्टुम् अथवा गुरुकुलस्य कस्मिंश्चिदपि भागे प्रवेष्टुं अधिकारो न भविष्यति । तथापि यदि सः न निर्गच्छति चेत् बलपूर्वकं निष्कासयिष्यते ।
२. छात्राय छात्रावासे दत्तः आवासानुमतिः अनन्तिमः। केवलं निःशुल्कचिकित्सा—परीक्षणानन्तरं तथा प्रोक्तकार्यायि निर्दिष्टचिकित्सकसमूहस्य अनुमोदनानन्तरमेव गुरुकुलप्रशासकेन आवासार्थं अन्तिमानुमतिः दास्यते । छात्रेण कीदूशोऽपि स्वचिकित्सा—सम्बद्धेतिहासः समुद्घाटनीयः।
३. आवेदनपत्रे प्रदत्ता काचिदपि भ्रामिका/असत्कथा, असमीचीना सूचना प्रवेशं निरस्तयति तथा एकवारं प्रवेशे निरस्ते सति छात्रः छात्रावासे प्रवेष्टुं/वसितुम् अनर्हो भविष्यति ।
४. अत्यन्तावज्ञायाम्, अधिकारिणोऽवहेलनायां वा छात्रावासनियमानाम् उल्लङ्घने/निरन्तरोल्लङ्घने, कस्यापि जनस्य/वस्तुनः क्षतौ अथवा राष्ट्रविरुद्धेषु/अवाञ्छनीयेषु गतिविधिषु संलिप्ततायां, गुरुकुलप्रबन्धनं कस्यापि छात्रस्य निष्कासनसम्बद्धान् अधिकारान् संधते ।
५. प्रकोष्ठानां परस्परपरिवर्त्तनम् —: प्राचार्यस्य/उपप्राचार्यस्य लिखितानुमतिं विना कश्चिदपि छात्रः अन्येन छात्रेण सह प्रकोष्ठपरिवर्त्तनं/रिक्तप्रकोष्ठे वासं न करिष्यति । प्राचार्यः/उपप्राचार्यः अनुकृतकारणसहितः किमपि छात्रं कस्मिंश्चिदपि काले छात्रावासस्य एकस्मात् प्रकोष्ठात् अन्यस्मिन् प्रकोष्ठे प्रतिस्थापयितुं अधिकृतो भविष्यति ।
६. छात्रसंरक्षकः/सहछात्रसंरक्षकः आवण्टितानां प्रकोष्ठानां कुञ्जिकाः संधारयिष्यति । छात्रेभ्यः स्वप्रकोष्ठेषु तालप्रयोगस्य/पिधानस्य अनुमतिर्न भविष्यति । छात्रः स्वसम्पत्तेः सुरक्षायै स्वयमेव उत्तरदायिनो भविष्यन्ति, यत्सम्पत्तिस्ते कक्षाऽवंटितकपाटिकासु सतालं सुरक्षयिष्यन्ति । प्राचार्यः/उपप्राचार्यः किमपि प्रकोष्ठं कस्मिंश्चिदपि काले निरीक्षणार्थम् अधिकृतो भविष्यति ।
७. छात्राः कस्यामपि राजनैतिकायां साम्प्रदायिकायां वा प्रक्रियायां सम्मिलिताः न भविष्यन्ति ।
८. छात्राः मुद्रणालयेभ्यः, आकाशवाणीभ्यः, दूरदर्शनेभ्यः अथवा अन्यान्यसञ्चार—साधनेभ्यः गुरुकुलेन/छात्रावासेन सम्बद्धाः सूचनाः, साक्षात्कारान् वक्तव्यान् वा दातुं सर्वप्रथमं प्रशासकस्य लिखितानुमतिं स्वीकरिष्यन्ति ।
९. दीर्घविकाशदिनेषु छात्राः वस्तूनि कपाटिकासु संरक्षयिष्यन्ति । यद्यपि छात्राः सीमितमात्रायां (द्वयोः पेटिकयोः) सामान्यभण्डारस्य लाभं स्वीकर्तुं शक्नुवन्ति ।

१०. छात्रावासीभ्यः सर्वेभ्यः छात्रेभ्यः श्रीमातावैष्णोदेवीगुरुकुलेन समुपलब्धे स्वास्थ्यपरीक्षणे प्रतिभागित्वम् अनिवार्यं भविष्यति । आपच्चकित्सास्थितौ छात्रः सामुदायिकस्वास्थ्यकेन्द्रे (C.H.C) कटरायाम् अथवा श्रीमातावैष्णोदेवीनारायण—चिकित्सालये स्थानान्तरिष्यते/सम्प्रेषयिष्यते ।
११. गणवेषः —ः छात्राः प्रतिसमयं सज्जितवेषाः भवेयुः । सभ्या वेषभूषा कीदृशीति प्राचार्यस्य अधिकारगतं भविष्यति ।
१२. शान्तिः —ः छात्रावासे रात्रौ एकादशवादनतः(11:00 p.m) प्रातः षड्वादनं (06:00 p.m) यावत् पूर्णशान्तिर्भविष्यति । इदं सुनिश्चेतत्वं यत् सर्वदा किम्प्रकारकोऽपि संगीतः/वार्तालापः प्रकोष्ठाद् बहिर्न गच्छेत् । छात्रावासपरिसरे अन्येभ्यः छात्रेभ्यः विघ्नकरणां केषाज्ज्विदपि उत्सवानां/समारोहाणाम् अनुमतिर्न भविष्यति । पिधानं रात्रौ साक्षात् दशवादने (10:00 p.m) भविष्यति ।
१३. छात्रावासपरिसरे द्यूतस्य/असंवैधानिककृत्यस्य अनुमतिर्न भविष्यति ।
१४. छात्रः छात्रावासपरिसरे भुशुण्डीं, विस्फोटकपदार्थं ज्वलनशीलपदार्थं नैव धारयिष्यति/संरक्षयिष्यति ।
१५. मादकपदार्थं/इग्स/धूम्रपानम् —ः छात्राः छात्रावासस्य परिसरे/ कस्मिंश्चिदपि भागे कीदृशमपि मद्यं/मादकपेयं, इग्स/किमपि मदोत्पादकम् उपद्रव्यं न उपयोक्ष्यन्ति तथा परिसरस्य कस्मिंश्चिदपि भागे/प्रकोष्ठे कदापि धूम्रपानं न करिष्यन्ति । आगन्तुकानां कृतेऽपि एते नियमाः भविष्यन्ति । नियमोल्लङ्घने सति कठिनदण्डो विधास्यते, यस्मिन् प्रवेशनिरस्ततासहित—श्रीमातावैष्णोदेवीगुरुकुलात् निष्कासनमपि अन्तर्हितं भविष्यति ।
१६. कस्यापि छात्रस्य धनम्, आभूषणम्, व्यक्तिगतं वस्तु लुप्ता भवति चेत् छात्रावासाधिकारिणः उत्तरदायिनो न भविष्यन्ति ।
१७. छात्रोत्पीडनम् —ः किम्प्रकारकमपि छात्रोत्पीडनं निषिद्धम् । अयमेकः गम्भीरापराधः तथा अस्मिन् संलिप्तस्य छात्रस्योपरि गुरुकुलान्निष्कासनसहितं न्यायिकी कार्यवाही भविष्यति । अपराधस्यास्य मूकवद्दर्शनम्, अपराधे संलिप्तानाम् असूचनम्/अस्थगनम् अपि अपराधश्रेणीं भजते, तथा एतादृशोष्वपि उपरोक्तवत् न्यायिकी कार्यवाही भविष्यति । उत्पीडनस्य स्वीकारः/कर्त्तव्यं तथास्य असूचनमपि एकापराधः । सूचनापटे छात्रेभ्यः एका सूचना विधास्यते यत् छात्रोत्पीडनसम्बद्धानां दुर्घटनानां त्वरितसूचना छात्रावाससमितेः (कस्यापि सदस्यस्य) कृते दातव्या ।
१८. विद्युत्प्रतिबन्धः —ः प्रकोष्ठेषु विद्युदुपकरणानां प्रयोगस्य अनुमतिर्न भविष्यति । छात्रसंरक्षकस्य/सहायकछात्रसंरक्षकस्य अधिकारो भविष्यति यत् सः विद्युदुपकरणानि हस्तंगतं कुर्यात् । प्रकोष्ठाद् बहिर्निर्गमनसमये छात्राः सप्रत्ययं अवधेयुः यत् विद्युतां व्यजनानां पिधानं जातम् । प्रत्येकस्याम् अनवधानतायां



सत्यां धनदण्डो भविष्यति । उत्पीठिकादीपस्य उपयोगः केवलम् अध्ययनाय कर्तुं शक्यते ।

१९. स्वच्छता —: छात्राः सर्वदा स्वप्रकोष्ठम् आलिन्दम् उपक्षेत्रे च स्वच्छं निर्मलज्ज्व विधास्यन्ति तथा भवन्तः अवकरपात्रम्/अवकराय निर्धारितस्थलं विहाय कुत्रापि किमपि अवकरं न प्रक्षेपयेयुः । उत्पीठिकादिषु/वस्तुषु/आलिन्देषु आर्द्धवस्त्राणां प्रच्छादनं/स्थापनं न करणीयम् । छात्रावासे एतादृशस्य वस्त्रस्य हस्तंगताधिकारः छात्रावाससमितिसविधे भविष्यति ।

२०. पालित—जन्तवः —: छात्रावासपरिसरे छात्राः कमपि पालितं जन्तुं नानेष्यन्ति/न स्थापयिष्यन्ति । छात्राणां कुक्कुरेभ्यः भोजनप्रदानं, तैस्सह क्रीडनं निषिद्धम् ।

२१. छात्रावास—कर्मचारिणः —: छात्राः सर्वदा छात्रावासकर्मचारिभिः सह समुचितं व्यवहरिष्यन्ति । कर्मकराणां सेवाया उपयोगः निजकर्मणे/व्यक्तिगतकार्याय न भविष्यति । तेभ्यः किमपि द्रव्यादिकं दातुम् अनुमतिर्न भविष्यति ।

२२. भोजनालयः —: यदि कश्चिद् छात्रः रुग्णस्तदा छात्रलिखितावेदनं छात्रसंरक्षकेन/सहायकछात्रसंरक्षकेन अनुमोदिते सत्येव प्रकोष्ठे भोजनपरिवेषणस्यानुमतिः दातुं शक्यते ।

२३. बहिस्थानां जनानां भोजनालयं गन्तुम् अनुमतिर्नास्ति । प्राचार्यस्य/उपप्राचार्यस्य पूर्वानुमत्या एव अतिथयः भोजनालयक्षेत्रं प्रवेष्टुमर्हः सन्ति ।

२४. भोजनालयस्य समय—सारणी —:

अल्पाहारः — प्रातः 07:10 वादनतः प्रातः 07:45 वादनं यावत् ।

मध्याह्नभोजनम् — मध्याह्ने 12:00 वादनतः मध्याह्ने 08:30 वादनं यावत् ।

सायं चायपानम् — सायं 04:10 वादनतः सायं 04:30 वादनं यावत् ।

रात्रिभोजनम् — रात्रौ 07:30 वादनतः रात्रौ 08:30 वादनं यावत् ।

उपरोक्तां समयसारणी छात्राः अनिवार्यरूपेण अनुपालयेयुः ।

२५. अनुमोदितायां दैनिकभोजनसूच्यां किमपि परिवर्तनं केवलं प्रशासकद्वारा छात्रावाससमितेः प्रस्तावाधारेणैव करिष्यते ।

२६. नियमानाम् उल्लङ्घने कृते/कदाचरणे सति छात्रावासाद् तस्य छात्रस्य निष्कासनाधिकारः गुरुकुलप्रबन्धन—समितेः संरक्षितो भविष्यति ।

२७. राष्ट्रियस्य/धार्मिकस्य कस्यापि उत्सवस्य आयोजनं केवलं प्रबन्धनेन समायोजयिष्यते ।

उल्लङ्घनात्मकानि कार्याणि, तन्नियन्त्रकाधिकारिणश्च

छात्रावासस्य नियमानां विनियमानान्व उल्लङ्घने कृते छात्रेषु श्रीमातावैष्णोदेवी—
गुरुकुलस्य आचारसंहितानुसारम् अनुशासनात्मिका कार्यवाही करिष्यते ।

क्र.सं.	उल्लङ्घनात्मकानि कार्याणि	नियन्त्रकाधिकारिणः
01	यदि कस्मिन्नपि राजनैतिके/ साम्प्रदायिके/ असंवैधानिके कार्ये संलग्ने, सद्भावस्य अनुशासनस्य, संस्थास्वरूपस्य दूषकं कस्मिंश्चिदपि प्रचार—प्रसारे संलग्ने सति	प्रशासकः— प्राचार्यस्य सूचनानुग्रुणम्/ निरीक्षणानुग्रुणम् (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः) ।
02	यदि इग्स/ मदिरायाः सेवनम्/ भण्डारणम्/ विक्रयणम्/ तत्प्रभावगतं कार्यं भवति चेत् —: अ.)—मदिरा/ तम्बाकू/ गुटखा तथा सिगरेट ब.)— मादकपदार्थः यथा—नारकोटिकइग्स, मनोन्मादकपदार्थः	प्रशासकः— प्राचार्यस्य सूचनानुग्रुणम्/ निरीक्षणानुग्रुणम् (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः) ।
03	छात्रोत्पीडनम्—: यदि छात्रावासे छात्रोत्पीडनस्य कस्यामपि प्रक्रियायां कश्चिदपि संलिप्ते प्राप्यते चेत्	प्रशासकः— प्राचार्यस्य सूचनानुग्रुणम्/ निरीक्षणानुग्रुणम् (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः)।
04	द्यूतम् —: छात्रावासपरिसरे कीदृशस्यापि द्यूतस्य अनुमतिर्न दास्यते, प्रयोगे सति	प्रशासकः— प्राचार्यस्य सूचनानुग्रुणम्/ निरीक्षणानुग्रुणम् (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः)।
05	गहनावज्ञायां/ छब्बहस्ताक्षरे, कस्यापि/ सर्वस्यापि अधिकारिणोऽवहेलनायाम्, छात्रावासनियमानाम् उल्लङ्घने/ अस्वीकरणे, जनस्य/ वस्तुनः क्षतिकरणे, देशविरुद्धासु/ अवाञ्छनीय—गतिविधिषु लिप्ततायाम्	प्रशासकः— प्राचार्यस्य सूचनानुग्रुणम्/ निरीक्षणानुग्रुणम् (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः) ।
06	शारीरिके युद्धे/ कलहे/ प्रताङ्गकर्मणि लिप्ततायाम्	प्राचार्यः (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः) ।
07	क्षतिः —: सामूहिकसम्पत्तेः क्षतौ लुप्ततायाम्	प्राचार्यः (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः) ।
08	छात्रावासप्रकोष्ठेषु उत्सवायोजनं/ तीव्रसंगीत— ध्वनिकरणम्	प्राचार्यः (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः) ।
09	आगन्तुकाः —: यद्येते प्रकोष्ठं नीयन्ते	प्राचार्यः (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः) ।
10	भित्तिषु अपशब्दानां लेखनं/ संश्लेषणम्	प्राचार्यः (प्राचार्यस्यानुपस्थितौ उपप्राचार्यः) ।

छात्राय अनुबन्धः

अहं श्रीमान्/ श्रीमती इत्यस्य पुत्रः

..... छात्रावासस्य संख्यके प्रकोष्ठे निवसामि । अहं
गुरुकुलस्य/ छात्रावासस्य नियमान् विनियमान् च अपठम् । अहं शपे यद्
गुरुकुलस्य/ छात्रावासस्य नियमान् विनियमाज्व कठोरतया पालयिष्यामि । यदि मया
नियमोल्लङ्घनं करिष्यते तदा मदुपरि क्रियमाणस्य दोषावधिस्थितेः/ अर्थदण्डस्य/
अनुशासनात्मककार्यस्य अहमेव उत्तरदायी भविष्यामि ।

छात्रस्य नाम —:

संस्थायाः नाम—:

कक्षा —:

प्रकोष्ठसंख्या —:

छात्रस्य हस्ताक्षरम् दिनांकः.....

अभिभावकाय अनुबन्धः

अहं पिता श्री/ कु इत्यस्य यश्च

..... कक्षायां पठति तथा छात्रावासस्य संख्यके
प्रकोष्ठे निवसति । अहं नियमान्/ विनियमाज्व पठितवान् तथा अवगतवान् ।
अहं शपे यद् छात्रावासाधिकारिभिः सह पूर्ण सहयोगं करिष्यामि तथा
स्वजातकस्य चिकित्सा— सम्बद्धाः सूचनाः छात्रावासाधिकारिभ्यः प्रदास्यामि ।
अहं यथावश्यकं छात्रावासप्रबन्धनस्य मौखिके/ लिखिते आमन्त्रणे समागन्तुं
प्रतिबद्धोऽस्मि ।

मम सम्पर्कसूत्रम्

अहं प्रतिजाने तथा आश्वस्तोऽस्मि यन्मम जातकः छात्रावासनियमावल्यां
निर्धारितानां सर्वेषां नियमानां विनियमानाज्व सर्वदा पालनं करिष्यति । अहम्
अनुजाने यन्नियमानाम् उल्लङ्घने/ अवहेलने मम जातकस्य प्रवेशः
कस्मिंश्चिदपि काले निरस्तो भविष्यति ।

अभिभावकस्य/ संरक्षकस्य नाम

हस्ताक्षरम् —..... दिनांक—.....



छात्रावासाद् रात्रिबहिर्गमनाय छात्रानुबन्धपत्रम्

छात्रस्य नाम —:

अभिभावकस्य / संरक्षकस्य —:

संस्थायाः नाम —:

प्रकोष्ठसंख्या —:

अवकाशस्य / रात्रिबहिर्गमनस्य कारणम् —:

सम्पर्कसंख्या —:

- अहं शपे, यद् अनुमतकालावधे: समाप्तिकालं यावत् आगमिष्यामि ।
अहंदिनाङ्केवाटने आगमिष्यामि ।
- अहं सूचयामि यदहं स्वाभिभावकैः/स्वसंरक्षकैः सह छात्रावासाद्
.....दिनाङ्कतः:दिनाङ्कं यावद् निर्गच्छामि । मम
अभिभावकस्य / संरक्षकस्य सम्पर्कसंख्या
अस्ति ।
- अहं शपे यदुक्तकालावधे: समाप्तिकालं यावत् प्रत्यागमिष्यामि । अहं
छात्रावासाद् बहिरपि श्रीमातावैष्णोदेवीगुरुकुलस्य
आचारसंहितामानदण्डानाम् अनुपालनं करिष्यामि ।

छात्रस्य हस्ताक्षरम् दिनाङ्कः

अभिभावकस्य / संरक्षकस्य हस्ताक्षरम्

अवकाशार्थम् / रात्रिबहिर्गमनार्थम् अनुमताधिकारिणो हस्ताक्षरम्



छात्रावासस्य परामर्श—पत्रम्

छात्रस्य नामः —:

संस्थायाः नामः —:

कक्षा —:

छात्रावासः —:

कक्षसंख्या —: सम्पर्कसंख्या —:

निन्दा/दोषकथनम् —:

परामर्शः —:

छात्रस्य हस्ताक्षरम् दिनांकः

SHRI MATA VAISHNO DEVI GURUKUL,
CHARANPADUKA, KATRA

HOSTEL MANUAL



विद्याऽमृतमशनुते



INDEX

S. No	Contents	Page No.
1.	Standard Operating procedure for Hostel	
	i. Hostel rules and regulations	1
	ii. Issues related to Parents/ Relatives/Visitors	2
	iii. Use of items in the room	2
	iv. Celebration of Birthdays	3
	v. Attendance of Students in Hostel	3
	vi. Use of washrooms	4
	vii. Discipline in the mess	4
2.	Regulations / disciplinary action for violations	5
3.	Acts of violation and handling authorities	12
4.	Undertaking by the student	13
5.	Undertaking by the parent	14
6.	Undertaking by the student to avail night out / Leave from Hostel	15
7.	Suggestion form for the Hostel	16



Standard Operating Procedure (SOP) for SMVD Gurukul Hostel

1. Hostel Rules and Regulations:

- i) After admission into the Gurukul, the Parents / Guardians shall be handed over the rules charter of SMVD Gurukul. After going through the rules, Parents / Guardians of the students shall sign the rules charter (The copy of rules as attached with application form) as a token of acceptance of rules.
- ii) Rules shall be displayed in the hostel by concerned Warden / Asstt. Warden.
- iii) There shall be a Hostel Committee, which shall comprise of 05 members - Principal, Vice Principal, Warden Phase-I, Warden Phase-II and a Senior Acharya nominated by Administrator, SMVD Gurukul, who will supervise daily activities of Gurukul Phase-I & II. Hostel Committee shall be authorized to inspect hostel premises and shall advise Warden / Asstt. Warden on its functioning.
- iv) Any cleanliness matter shall be brought to the notice of the Warden / Asstt. Warden by the students.
- v) Mess shall be informed about non-availability of students, well in time.
- vi) Food shall not be served in the room, except in case of illness, on deposit of Identity Card.
- vii) In case of illness of any student, the student shall be accompanied to the nearby Medical Unit by Asstt. Warden in case of Gurukul Phase-I and Warden in case of Gurukul Phase-II. In case of their non-availability an Acharya nominated by Principal, SMVD Gurukul shall accompany.
- viii) Night out / leave from hostel shall be allowed to the students only when they are accompanied by their Parents / Guardians, and after signing of the night out / leave form by the Parents / Guardians. This permission shall be granted by Principal (Vice Principal in case of non-availability of Principal). Students shall be sanctioned such leave only in case of any momentous event at their home.
- ix) Suggestion/Complaint boxes / forms shall be provided in the hostel premises.
- x) Suggestion Box/Register: Suggestions and complaints should be either deposited in the "Suggestion/Complaint Box" or should be

- entered in the "Suggestion/Complaint" Register available in the premises.
- xi) Suggestion Box provided in the hostel shall be opened every month in the presence of Administrator by the Hostel Committee.
 - xii) Students shall not be allowed to stay in the Hostel rooms during school hours / games / activities (except in case of illness).
 - xiii) Students shall not be allowed any outside eatable and shall not use any medicines or tonic without the knowledge of the Hostel Warden
 - xiv) Use of mobile phones shall be prohibited in the Gurukul (Phase- I & II) premises. However, students shall be provided the facility of contacting their family from the official phone available with Warden/ Asstt. Warden, on designated slots.
 - xv) Students shall have to deposit any cash, valuable, eatables and clothes etc. brought from home with Asstt. Warden / Warden of concerned hostel, who shall maintain an inventory of same and shall return these items to parent / guardian on their next visit.
 - xvi) Parents / Guardians will be able to meet their wards on weekly holiday in Gurukul (Ashtami / Pratipada) in the reception area of Gurukul only.

2. Issues Related to Parents/ Relatives/Visitors

- i) Parents/Guardians shall have to give an undertaking to cooperate with the Hostel authorities and shall be available on call as and when required.
- ii) Parents/Visitors shall not insist on entry beyond the designated area/ visiting room.
- iii) Any inquiries regarding their wards shall be made by parents to the Principal (Vice Principal in case of non-availability of Principal).
- iv) Parents / Guardians of students can have a guided tour of SMVD Gurukul on occasion of 'Parent Teacher Meet' only.

3. Use of items in the room

- i) Fixtures: Students shall not bring any extra furniture or other fixtures in the room. All furniture and fixtures in the rooms allotted to students

shall be cared for property. Students shall be required to pay double the original cost of any item found missing from their room. Students shall also be required to pay twice the charges of repair on items that are found to have been wilfully damaged or have been damaged on account of misuse or unfair wear and tear.

- ii) Interchange of Furniture/Fixture: Students shall not interchange any furniture/ fixture from one point/location in the hostel to another. Besides penal recovery, students involved in such activities shall be expelled from the hostel.
- iii) Assets in Common Areas/Corridors: Theft/damages to hostel assets in common areas/corridors shall be recovered from all students of the flank/ wing involved. In case of theft/damage to items that pertain to usage by entire hostel, the recoveries shall be made from all the occupants of the hostel.

4. Celebration of Birthdays

- i. Birthday celebrations shall be held in Gurukul Temple area between 7.00 PM and 08.00 PM only with traditional fervour and gaiety on Ashtami / Pratipada only, to celebrate the birthday of the students, whose birthday falls during the following week.
- ii. No outside guest shall be allowed.
- iii. A sweet dish shall be included in the lunch menu of Hostel on such days to celebrate the occasion.
- iv. Violators of the rules shall be penalized.

5. Attendance of Students in Hostel

- i. The Asstt. Warden / Warden shall ensure that student, wake up at least 45 minutes before the morning sandhya.
- ii. Attendance of the students in the hostel shall be taken between 9.30 pm to 10.00 pm by the Asstt. Warden / Warden.
- iii. The Principal shall keep apprised Administrator about availability of students / staff on daily basis on phone.



6. USE OF WASHROOMS

- i. Students must spend the minimum possible time in bathroom and toilet, so as to give others a fair chance to use them.
- ii. Students must ensure that the bathrooms and toilets, after use, are as clean as they would like to find them.
- iii. Students must also make sure that they close all the taps, light and fan points when not in use, so that no wastage of water and electricity in Hostel.

7. DISCIPLINE IN THE MESS

- i. Students will enter the Dining Hall in proper dress only and behave in a disciplined and orderly manner.
- ii. Each student will begin the meal after prayers only.
- iii. Students will ensure that there is no wastage of food.
- iv. After meals benches / mats must be put back neatly after finishing of the meal.

of 126

Regulations / Disciplinary action for violations

1. Use of hostel premises and property is permitted by Shrine Board Management, under the rules and regulations framed, which can be changed, altered, modified, varied wholly or partly and can be replaced by authorities at their discretion and without assigning any reason for same. Upon such revocation the resident shall not be entitled to stay and/or enter the Hostel/Institute or any part or portion thereof. If he does not leave, he shall be liable to be forcibly removed.
2. Admission in hostel given is provisional and will be confirmed by the Administrator of the Institute only after a free medical examination and clearance given by a designated Medical Team assigned for the said task. Any previous medical history should be disclosed by the student.
3. Any misleading or false statement or information in the application form can render the cancellation of admission and on such termination students shall not be entitled to stay and/or enter the hostel or part thereof.
4. The management reserves the right to terminate the occupancy of the student from Gurukul for any wilful disobedience or defiance of authority, non-observance or frequent violation of hostel rules, causing damage to person or property or indulging in anti-national or undesirable activities.
5. Change/Inter-Change of Room: A student shall not change/interchange his room with another student or shift into a vacant room without the previous written permission of the Principal / Vice Principal. The Principal / Vice Principal has the right to shift a student from his room to another room in the hostel at any time without assigning any reason.
6. The Hostel Warden / Asstt. Warden shall keep the keys of the allotted room. Students shall not be allowed to lock their rooms. Students are responsible for safe custody of their possessions, which they shall keep in the cupboard allotted under lock and key. The Principal / Vice Principal has the discretion to inspect any room at any time.



7. Students shall not indulge in any political or communal activity which is detrimental to the law and order. Students shall not carry any propaganda or publicity of any nature whatsoever in respect of anything or any matter including political or communal matters.
8. Students shall take prior written permission of the Administrator before giving any information or interview regarding Gurukul / Hostel to any member of the Press, Radio, Television or any other media or before making any speech containing any information regarding the Hostel / Gurukul.
9. During the vacation, belongings should be kept in the cupboard under lock. However, students may avail common storage facility for limited quantity (2 cartons).
10. It is mandatory for all students staying in the Hostel to undergo medical checkup provided by SMVD Gurukul. In case of medical emergency, the student shall be shifted/referred to the CHC Katra / SMVDNS Hospital.
11. Dress Code: The students should be decently dressed at all times. The decision, as to what constitutes a decent dress remains vested with the Principal.
12. Silence: Strict silence shall be observed in hostel from 11.00 PM to 6.00 am. Care should be taken at all times to ensure that music/talk is not audible outside the room. Any manner of festivities/celebrations which may cause disturbance to other inmates in the hostel premises shall not be allowed. Recreational facilities to be turned off by 10.00 pm sharp.
13. No gambling / unlawful activity shall be allowed in the premises of the hostel.
14. No student shall bring or store any firearm, ammunition, explosive and inflammable goods in the premises of the hostel.
15. Alcohol / Drugs / Smoking: Students shall not use or be in possession of any alcohol/ intoxicating drink, drug or substance of any kind what so ever and/or smoke in the room and/or any part of premises. The same shall apply to visitors also. Any violation shall invite strict disciplinary action including cancellation of admission of student in SMVD Gurukul.



16. Hostel authorities will not be responsible for any loss of money, jewellery or personal belongings of any student.
17. Ragging: Ragging in any form is banned. It is a cognizable offence and violation shall invite action as per law of the land in addition to rustication from the Institute. Being a silent spectator and not reporting/stopping others indulging in ragging is also an offence and will invite similar disciplinary action. Accepting/undergoing ragging and not reporting to this is also an offence. A notice shall be pasted on the Notice Board for the students to report on any incident of ragging immediately to the Hostel Committee (any member)
18. Electricity Restrictions: No electric appliances shall be permitted in the room. The Warden / Asstt. Warden shall have the right to confiscate such gadget. While leaving the room students should take care to put off the lights and fans, without fail. In case of default, a fine will be charged on every such occasion. Table lamps can be used for study purpose only.
19. Cleanliness: Students shall keep their room, verandah and surrounding areas neat, clean and tidy at all times and shall not throw any waste, in such places or any premises in the hostel except in the dustbin or the place specifically provided for the said purpose. No wet clothes should be dried on the furniture or in corridors/ balconies. The Hostel Committee shall have the right to confiscate any such clothes hung for drying in the balconies.
20. Pets: Students shall not bring and/or keep any pets in the premises. Students should desist from pampering stray animals by offering food, petting etc.
21. Hostel Staff: Students shall treat the staff and housekeeping staff of the Hostel with due courtesy at all times. Service of the housekeeping staff shall not be utilized for private or personal work. No tips in cash or kind shall be allowed.
22. Mess: If a student is sick, written application by the student endorsed by the Warden / Asstt. Warden should be given to Supervisor for serving food in the room.



23. Outsiders are not allowed in the mess. Guests are allowed in mess area only with prior permission of the Principal/ Vice Principal only. Outside food/ dabbas are strictly not permitted in the hostel.
24. The mess timings shall be observed as under: -

Timings for Mess

Breakfast – 07:10 AM to 07:45 AM

Lunch – 12:00 Noon to 01:10 PM

Dinner – 07:30 PM to 08:30 PM

These timings shall be strictly followed by the hostellers.

25. Any change in approved daily menu shall only be done with the approval of Administrator, based on recommendations of Hostel Committee.
26. The Management shall have the right to discontinue Hostel accommodation allotted to any student on account of misconduct and/or violation of rules and regulations.
27. Any celebrations of national or religious festivals shall be arranged by management only.
- ४२१५

वीमनकालीन (01 अप्रैल से 30 सितम्बर पर्यन्त)
(प्रखण्ड - प्रथम)

क्र.सं.	समय	कार्य
1.	प्रातः 5:00 बजे	जागरण
2.	प्रातः 5:00 बजे से 5:10 बजे तक	जागरणमन्त्र
3.	प्रातः 5:10 बजे से 6:00 बजे तक	स्नानादि नित्यक्रिया
4.	प्रातः 6:00 बजे से 6:45 बजे तक	सन्ध्या एवं आरती
5.	प्रातः 6:45 बजे से 7:10 बजे तक	योगाभ्यास (सोमवार, बुधवार एवं अवकाश के दिन) अन्य दिनों में स्वाध्याय/गृहकार्य
6.	प्रातः 7:10 बजे से 7:45 बजे तक	अल्पाहार
7.	प्रातः 7:45 बजे से 8:30 बजे तक	स्वाध्याय/गृहकार्य
8.	प्रातः 8:30 बजे से 8:40 बजे तक	गुरुकुल हेतु परिधान धारण
9.	प्रातः 9:00 बजे से 9:10 बजे तक	प्रार्थना
10.	प्रातः 9:10 बजे से अपराह्ण 12:00 बजे तक	कक्षा - अध्ययन
11.	अपराह्ण 12:00 बजे से 01:10 बजे तक	भोजनावकाश
12.	अपराह्ण 1:10 बजे से सायं 4:00 बजे तक	कक्षा - अध्ययन
13.	सायं 4:00 बजे से सायं 4:20 बजे तक	चाय, जलपान
14.	सायं 4:20 बजे से सायं 5:45 बजे तक	खेल
15.	सायं 5:45 बजे से सायं 6:00 बजे तक	सन्ध्या हेतु वस्त्र परिवर्तन
16.	सायं 6:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक	सन्ध्या एवम् आरती
17.	सायं 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक	मनोरंजन एवं फोनवार्ता
18.	रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक	भोजन
19.	रात्रि 8:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	स्वाध्याय/गृहकार्य
20.	रात्रि 10:00 बजे	शयन

१८९

शातकालीन (01 अक्टूबर से 31 मार्च पर्यन्त)

(प्रखण्ड - प्रथम)

क्र.सं.	समय	कार्य
1.	प्रातः 6:00 बजे	जागरण
2.	प्रातः 6:00 बजे से 6:10 बजे तक	जागरणमन्त्र
3.	प्रातः 6:10 बजे से 7:00 बजे तक	स्नानादि नित्यक्रिया
4.	प्रातः 7:00 बजे से 7:30 बजे तक	सन्ध्या एवं आरती
5.	प्रातः 7:30 बजे से 8:00 बजे तक	योगाभ्योस(सोमवार, बुधवार एवं अवकाश के दिन) अल्पाहार (मंगल, गुरु, शुक्र, शनि एवं रवि)
6.	प्रातः 8:00 बजे से 8:30 बजे तक	अल्पाहार (योगाभ्यास के दिन) स्वाध्याय/गृहकार्य(मंगल, गुरु, शुक्र, शनि एवं रवि)
7.	प्रातः 8:30 बजे से 8:45 बजे तक	गुरुकुल हेतु परिधान धारण
8.	प्रातः 9:00 बजे से 9:10 बजे तक	प्रार्थना
9.	प्रातः 9:10 बजे से अपराह्ण 12:00 बजे तक	कक्षा - अध्ययन
10.	अपराह्ण 12:00 बजे से 01:10 बजे तक	भोजनावकाश
11.	अपराह्ण 1:10 बजे से सायं 4:00 बजे तक	कक्षा - अध्ययन
12.	सायं 4:00 बजे से सायं 4:20 बजे तक	चाय, जलपान
13.	सायं 4:20 बजे से सायं 5:45 बजे तक	खेल
14.	सायं 5:45 बजे से सायं 6:00 बजे तक	संध्या हेतु वस्त्र परिवर्तन
15.	सायं 6:00 बजे से सायं 7:00 बजे तक	सन्ध्या एवम् आरती
16.	सायं 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक	मनोरंजन एवं फोनवार्ता
17.	रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक	भोजन
18.	रात्रि 8:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	स्वाध्याय/गृहकार्य
19.	रात्रि 10:00 बजे	शयन

(प्रखण्ड- द्वितीय)

क्र.सं.	समय	कार्य
1.	प्रातः 5:00 बजे	जागरण
2.	प्रातः 5:00 बजे से 5:10 बजे तक	जागरणमन्त्र
3.	प्रातः 5:10 बजे से 6:00 बजे तक	स्नानादि नित्यक्रिया
4.	प्रातः 6:00 बजे से 6:30 बजे तक	सन्ध्या एवं आरती
5.	प्रातः 6:30 बजे से 7:00 बजे तक	योगाभ्यास (सोमवार, बुधवार एवं अवकाश के दिन)
6.	प्रातः 7:00 बजे से 7:30 बजे तक	स्वाध्याय/गृहकार्य
7.	प्रातः 7:30 बजे से 8:00 बजे तक	अल्पाहार
8.	प्रातः 8:00 बजे से 8:40 बजे तक	स्वाध्याय/गृहकार्य गुरुकुल हेतु परिधान धारण
9.	प्रातः 8:40 बजे से 8:50 बजे तक	गुरुकुल हेतु परिधान धारण
10.	प्रातः 9:00 बजे से 9:10 बजे तक	प्रार्थना
11.	प्रातः 9:10 बजे से अपराह्ण 12:00 बजे तक	कक्षा - अध्ययन

12.	अपराह्ण 12:00 बजे से 01:10 बजे तक	भोजनावकाश
13.	अपराह्ण 1:10 बजे से सायं 4:00 बजे तक	कक्षा - अध्ययन,
14.	सायं 4:20 बजे से सायं 4:45 बजे तक	चाय, जलपान
15.	सायं 4:45 बजे से सायं 5:45 बजे तक	खेल
16.	सायं 5:45 बजे से सायं 6:15 बजे तक	स्वाध्याय
17.	सायं 6:15 बजे से सायं 6:30 बजे तक	संध्या हेतु वस्त्र परिवर्तन
18.	सायं 6:30 बजे से सायं 7:00 बजे तक	सन्ध्या एवम् आरती
19.	सायं 7:00 बजे से रात्रि 8:00 बजे तक	मनोरंजन एवं फोनवार्ता
20.	रात्रि 8:00 बजे से रात्रि 8:30 बजे तक	भोजन
21.	रात्रि 8:30 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक	स्वाध्याय/गृहकार्य
22.	रात्रि 10:00 बजे	शयन
23.	अवकाश के दिन	सत्संग/प्रवचन/संगीत/कम्प्यूटर

Acts of Violation and Handling Authorities

Disciplinary action as per SMVD Gurukul Code of Conduct shall be taken against students violating Hostel Rules and Regulations.

S. No	Act of Violation	Authority
1.	Indulging in any political, communal, immoral or untoward activity , any propaganda or publicity of any nature which violates harmony, discipline and the image of the Institute	Administrator on the basis of report / enquiry by Principal (Vice-Principal in case of non-availability of Principal)
2.	Drugs/ Alcohol consumption or possession or sale or being under influence of: a) Alcohol, Tobacco, Gutka and Cigarettes b) Narcotic drugs and Psychotropic substances	Administrator on the basis of report / enquiry by Principal (Vice-Principal in case of non-availability of Principal)
3.	Ragging : Any one found indulging in ragging in any form in the Hostel	Administrator on the basis of report / enquiry by Principal (Vice-Principal in case of non-availability of Principal)
4.	Gambling : No Gambling of any kind shall be allowed in the premises of the Hostel	Administrator on the basis of report / enquiry by Principal (Vice-Principal in case of non-availability of Principal)
5.	Wilful disobedience or proxy signatures, forging of any kind or all of the types of defiance of authority, non observance of hostel rules, causing damage to person or property or indulging in anti-national or undesirable activities	Administrator on the basis of report / enquiry by Principal (Vice-Principal in case of non-availability of Principal)
6.	Indulging in Physical Fights / Quarrels/ Bouts	Principal (Vice Principal in case of non-availability Principal)
7.	Damages: If any common property is damaged or lost	Principal (Vice Principal in case of non-availability Principal)
8.	Partying and playing loud music inside Hostel Room	Hostel Committee
9.	Visitors: if taken to room	Principal (Vice Principal in case of non-availability Principal)
10.	Sticking notices or writing on walls	Principal (Vice Principal in case of non-availability Principal)



UNDERTAKING BY THE STUDENT

I _____ S/O/Sh/Smt _____

staying in Room No _____ in _____ Hostel have read the Rules and Regulations and I undertake that I shall strictly abide by rules and regulation failing which I shall be liable for censure/ fine/ disciplinary action.

Name of the Student: _____

Name of the Institute: _____

Class: _____

Room No: _____

Signature of the Student _____

Date _____

T-125

UNDERTAKING BY THE PARENT

I _____ F/O//M/O//G/O/Sh. _____

who is studying in _____ and residing in _____ Hostel
in Room No._____, have read and understood the rules and regulations and I
undertake that I will cooperate with the Hostel Authorities and I will also provide
all the medical information of my ward to the Hostel Authorities and will be
available on call and promise to visit and take care of my ward, as and when
required.

My Contact Details are:

I hereby undertake that I shall ensure that my ward follows all rules and
regulations as laid down in Hostel Manual at all times. I understand that the
admission of my ward can be cancelled at any point of time for any serious
violation of rules / mis-conduct.

Name of the Parent/Guardian: _____

Signature _____

Date: _____



UNDERTAKING BY THE STUDENT TO AVAIL NIGHT OUT / LEAVE FROM HOSTEL

Name of the Student: _____

Name of Parent / Guardian: _____

Name of the Institute: _____

Room No: _____

Purpose of leave / night out: _____

Contact Number: _____

- I hereby undertake to return on expiry of the permitted duration. I will be back at _____ (time) _____ (date).
- I hereby notify that I am leaving the hostel alongwith my Parents / Guardians from _____ to _____. The contact number of my Parent / Guardian is _____.
- I hereby undertake that I shall return on the expiry of the said duration. I shall follow the norms of SMVD Gurukul code of conduct, even outside the hostel.

Signature of the Student _____

Date: _____

Signature of Parents / Guardians _____

Signature of Authority appraising leave / night out

(69)

-22-

(114)



SUGGESTION FORM FOR THE HOSTEL

Name of the Student: _____

Name of the Institute: _____

Class: _____

Hostel: _____

Room No: _____ Contact No: _____

Grievance:

Suggestion:

Signature of the Student: _____

Date: _____